जग्गुराम उर्फ जगदीश बनाम सरकार
प्रार्थना पत्र क्रमांकः– 02/2022
जी.सी.एम.एस. क्रमांकः– 2022/168

# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास–सुनिल कुमार, आर.ए.एस.

**मुकदमा नं. 02/2022**

**प्रार्थी :–**

1. जग्गुराम उर्फ जगदीश पुत्र चन्द्राराम जाति रेगर निवासी डेह तहसील जायल, नागौर।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण :–**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थिति–**

1. अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर प्रार्थी की ओर से।
2. तहसीलदार जायल अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित।

**– : : निर्णय : : –**

दिनांक 14/9/2022

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी का खेत ग्राम डेह में खसरा नम्बर 325 रकबा 0.6880 हैक्टेयर आया हुआ है, इस खेत के चिपता ही खेत खसरा नम्बर 319 आया हुआ है जो कि सरकारी भूमि है। प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 325 में आने जाने के लिए शुरू से ही खसरा नम्बर 319 में से नजरी नक्शे में बताये मार्क A से B में अंकित रास्ता का आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग रास्ता हेतु करता आ रहा है। जिसको नजरी नक्शे में माक A से B दर्शाया गया है। प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते के अभाव में प्रार्थी के अपने खेत में कास्त करने से वंचित रहने की नोबत आ सकती है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता प्रार्थी के खेत में आवागमन ... लगता है इसलिए संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये गये मार्क A से B तक रास्ता ... तथा रिकोर्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत है इसलिए यह प्रार्थना पत्र ... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:28:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्सानुसार मार्क A से B तक 15 फुट चौड़ा रास्ता आने जाने हेतु घोषित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद व तरमीम हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे।

प्रार्थना पत्र न्यायालय हाज के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुये। अप्रार्थी तहसीलदार जायल को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई।

तहसीलदार जायल द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 12.08.2022 को मौके पर तैयार की जाकर प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 327 गै.मु. मगरा में से वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये स्थान पर ही वर्तमान में रास्ते के निशानात मौजुद है जो सबसे नजदीक रास्ता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते पर किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण नहीं है। प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 327 में से 30 फुट चौड़ाई के रास्ते हेतु 3564 वर्ग फुट यानी 0.0331 हैक्टेयर भूमि उपयोग आयेगी। रास्ते पर स्थित भूमि की डी.एल.सी. दर 173388/– रूपये प्रति हैक्टेयर से 0.0331 हैक्टेयर भूमि की दो गुणा में 11479/– रूपये मालयित बनती है। ग्राम डेह का खसरा नम्बर 327 रकबा 62.2810 हैक्टेयर किस्म गै.मु. मगरा सरकारी खाते में दर्ज है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण 1 राजपेरोकार होने से तथा हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 के तहत है जो संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding)का होने हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों की पुनरावृती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे नजदीक रास्ता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा ना ही कोई कटाणी रास्ता लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते पर किसी प्रकार का निर्माण नही है, तथा मौका रिपोर्ट में भी इसी रास्ते को सबसे नजदीक होने का उल्लेख करते हुये प्रार्थी के खेत ख.न. 325 के अन्य कोई कटाणी रास्ता व वैकल्पिक रास्ता नहीं होना अंकित किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर माफिक नजरी नक्सानुसार रास्ता कायम करने के आदेश [illegible] किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:28:36 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन [illegible] रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के खेत ख.न. 325 जिसके [illegible] नुसार कटाणी या वैकल्पिक रास्ता नहीं लगता है तथा प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु ख.न. 319 गै.मु.मगरा से ही आवगमन हेतु सबसे नजदीक रास्ता है। तहसीलदार जायल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे भी

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते को ही सबसे नजदीक रास्ता बताते हुये ख.न. 327 गै.मू. मगरा मे से वैकल्पिक रास्ता मौजुद है तथा प्रार्थी द्वारा चाहे गये स्थान पर ही वर्तमान रास्ते के अलामात मौजुद है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राथी के द्वारा अपने खेत मे आने जाने बाबत ख.न. 319 व 327 मे से रास्ते हेतु उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। ख.न. 327 व 319 सरकारी भूमि होने से रास्ते हेतु उपयोग मे लेने पर किसी प्रकार की मनाही नहीं है बिना किसी रोक–टोक के प्रार्थी अपने खेत मे आने जाने एवं संसाधन लाने व लेजाने हेतु उपयोग कर सकता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार मौका रिपोर्ट में से यह स्पष्ट हो जाने कि प्रार्थी के खेत ख.न. 325 मे आने जाने हेतु कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है परन्तु सरकारी भूमि ख.न. 319 व 327 मे वैकल्पिक रास्ता मौजुद होने से प्रार्थी को अपने खेत ख.न. 325 मे आने जाने व कृषि कार्य हेतु संसाधनो को सरकारी भूमि ख.न. 319 व 327 मे से लाने व ले जाने पर किसी प्रकार मनाही नहीं होने से रास्ता का अभाव व रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

## – : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं । मिसल निर्णय नम्बर से कम होकर बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहें।

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) जायल

यह आदेश आज दिनांक 14/09/22 मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:28:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) जायल